"The Indian Standards Institution have taken up the work of bringing out a comprehensive Code covering all aspects specific to tall buildings,"

It is there in the statement Similarly, if he kindly goes through the statement a little more, it is all there

SHRI M. C. DAGA: Were all the representatives of these agencies present in the Conference? I have not got the proper reply.

MR SPEAKER Mr. Daga, in this way, you cannot change whatever is stated in the written reply The Minister has invited your attention to that

श्री टी० सोहन लाल : सारा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद देखा जाये तो यह जो कमेटी बनाई गई है, इसमे सिवाय इसके कुछ नही कहा गया है कि यह मालूम किया जाये कि इसको आगे से कैसे बचाया जाये और तीव्र हवा से कैसे बचाया जाये ताकि वह कही उड न जाये। न मगर कही भी इसमे नही है कि ऊंचाई कितनी तय की जाये।

बाई-लाज के मुताबिक भवनो के बारे मे कायदा है कि जहा एयर-कण्डीशनिंग है, वहा ऊंचाई 9 फिट से कम नहीं होनी चाहिये और जहा एयर-कण्डीशनिंग नहीं है वहा ऊंचाई 10 फिट से कम नही होनी चाहिये।

इसमे ऊंचाई का सवाल तय नही किया गया है। सिर्फ यह कहा गया है कि भवन 10 मंजिल से ज्यादा नही होना चाहिये। इसका मतलब यह है कि अगर कमरे की हाइट 20 फीट हो तो 10 मंजिले भवन की ऊंचाई 200 फीट हो जायेगी और 9 फीट की ऊंचाई कमरे की रखने का मतलब यह है कि भवन 20 मंजिल से ज्यादा 21, 22 मंजिल बन जाता है।

मैं समझता हूं कि इस कमेटी पर यह बेकार का रुपया खर्च हुआ है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये ऊंची इमारतें बनाने की जरूरत नही है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप घडी देख रहे है?

श्री टी० सोहन लाल : मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब दे दी दीजिये।

श्री दलबीर सिंह: इस कान्फ्रेंस में यह भी सोचा गया है। माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि ऊंचाई के मुताल्लिक कुछ फैसला होना चाहिये। लेकिन ऊंचाई कई कारणो पर डिपेंड करती है। अगर नीचे सायल ठीक नही है तो सायल को टैस्ट करना पड़ेगा कि वह कितनी फाउण्डेशन ले सकती है। दिल्ली में कई तरह की सायल है कलकत्ते मे किसी तरह की सायल है। सायल के मुताबिक ही हाइट का फैसला किया जा सकता है। सारी टैक्नालाजी इसमे इन्वाल्व्ड है। इन सारी बातो को सोच कर इसमे फैसले किये गये है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मध्य प्रदेश को कृषि के लिए केन्द्रीय सहायता

877. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी कृषि-सहायता दी गई, और

(ख) उक्त सहायता किन-किन योजनाओं के लिये दी गई तथा इन योजनाओं के अन्तर्गत किस प्रकार के कार्य किये जायेंगे?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखी जाएगी।